बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/निदे0 आ0 वि0(निर्माण)05–42–44/2014– 1259

प्रेषक

वीरेन्द्र कुमार, भा0 प्र0 से0
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 23.05.18

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सभी योजनाओ का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम एवं बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0 के माध्यम से करायी जा रही है।

संबंधित निगम के द्वारा पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल) का संयुक्त टीम गठित कर पूर्ण आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निरीक्षण कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अधिग्रहण करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 23/5/18
निदेशक।

ज्ञापांकः– 1/निदे0 आ0 वि0(निर्माण)05–42–44/2014– 1259 पटना, दिनांकः– 23.05.18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम/ प्रबन्ध निदेशक बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18
निदेशक।

ज्ञापांकः– 1/निदे0 आ0 वि0(निर्माण)05–42–44/2014— 1259 पटना, दिनांकः– 23.05.18

प्रतिलिपिः–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क कर निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मति से संबंधित पूर्ण योजनाओं का अधिग्रहण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें।

23/5/18
निदेशक।